18/1/25 पत्रावली पेश हुई। प्रा० पत्र धारा 128 [illegible] किया गया है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0/न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
40/25	128 एलआर एक्ट	3.7.2025	18.12.2025

उनवान

श्रीमति कुसुम पत्नि बृहमानंद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली

—प्रार्थीया

बनाम

1. अशोक
2. सुरेश

पिसरान श्यामसुन्दर जाति चतुर्वेदी निवासी गुनेसरी

3. रूपकुमार पत्नि सुगन्धीराम जाति गुर्जर निवासी आनंदगढ तहसील करौली
4. रामदेई पत्नि गणपत जाति चतुर्वेदी निवासी गुनेसरी
5. शांतिदेवी पत्नि बृजमोहन जाति चतुर्वेदी निवासी गुनेसरी तहसील करौली
6. गीता पत्नि महाराजसिंह जाति गुर्जर निवासी गदका की चौकी बरखेडा तहसील करौली जिला करौली
7. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली

—अप्रार्थीगण

—::निर्णय::— दिनांकः—18.12.25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 148/3 रकबा 15 बीघा बारानी—2 वांके ग्राम आनंदगढ पटवार हल्का सायपुर तहसील करौली में स्थित है। प्रार्थी दिनांक 19.09.2021 को सुबह 10 बजे करीब हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 148/3 रकबा 15 बीघा मेड ढोल डालने गए तो अप्रार्थीगण मौके पर आ गए डौल मेंढ डालने में रूकावट डाली और प्रार्थीया को भूमि की मेंड डौल सुरक्षा दीवार हदबंदी नहीं करने दी इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी नं. 7 तहसील करौली से मेरी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 148/3 रकबा 15 बीघा की चारों ओर से पत्थरगढी सीमांकर कराकर मेड डोल हदबंदी करने की अप्रार्थीगण ने कहा है बिना तहसीलदार के ह[illegible] सीमांकन पत्थरगढी तुम्हारी आराजी पर नहीं करने देगे इसलिए यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 148/3 रकबा 15 बीघा बारानी—2 वांके ग्राम आनंदगढ पटवार हल्का सायपुर तहसील करौली में स्थित है। प्रार्थी

दिनांक 19.09.2021 को सुबह 10 बजे करीब हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 148/3 रकबा 15 बीघा मेड ढोल डालने गए तो अप्रार्थीगण मौके पर आ गए डौल मेंढ डालने में रूकावट डाली और प्रार्थीया को भूमि की मेंड डौल सुरक्षा दीवार हदबंदी नहीं करने दी इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी नं. 7 तहसील करौली से मेरी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 148/3 रकबा 15 बीघा की चारों ओर से पत्थरगढी सीमांकर कराकर मेड डोल हदबंदी करने की अप्रार्थीगण ने कहा है बिना तहसीलदार के हक हदबंदी सीमांकन पत्थरगढी तुम्हारी आराजी पर नहीं करने देगे

सरकार पैरोकार तहसीलदार, करौली से प्राप्त रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि वर्तमान में खसरा नंबर 148/3 में कुसुम पत्नी ब्रहमानंद शर्मा का कोई नाम नहीं है और कुसुम पत्नी ब्रहमानंद शर्मा द्वारा उक्त खसरा का सम्पूर्ण बेचान अन्तराम पुत्र वांकेलाल वगै0 को कर दिया है। उक्त खसरा नंबर की पत्थरगढी कराने के लिए वर्तमान खातेदारों ने बताया कि हमें कोई पत्थरगढी की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया व सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई एवं बहस का मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 148/3 प्रार्थीया द्वारा बेचान कर दिया है और उक्त खसरा नंबर की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदारों द्वारा पत्थरगढी की आवश्यकता नहीं होने का कथन किया गया है। इसलिए कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होने के कारण प्रार्थीया प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः सरकार पैरोकार की रिपोर्ट के आधार व प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से की भूमि को बेचान किये जाने व वादकारण उत्पन्न नहीं होने के कारण प्रार्थीया प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्याय[illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली